

मारुति नारायण चव्हाण (द्वारा एलआर) और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6158/2002)

15 सितंबर 2008

(तरुण चटर्जी और आफताब आलम,जे.जे)

भूमि कानून:

बाम्बे किरायेदारी एवं कृषि भूमि अधिनियम 1984-धारा 32 एफ एवं 31(3) - किरायेदार का भूमि क्रय करने का अधिकार जब भूमि स्वामी विधवा हो- धारा 32 एफ के तहत नोटिस देना-अनिवार्य शर्त -अभिनिर्णित: अनिवार्य- हालांकि जब विधवा भूमि स्वामी द्वारा धारा 31 के तहत अपने अधिकार का उपयोग किया जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान उसे भूमि कि सद्भाविक अवश्यकता होती है ऐसे में धारा 32 एफ के तहत नोटिस अनिवार्य नहीं है एवं धारा 31(3) का लाभ उपलब्ध नहीं होता। तथ्यों के अनुसार, विधवा भूमि स्वामी के द्वारा धारा 31(1) का उपयोग नहीं किया गया ऐसे में धारा 31(3) उपलब्ध है- हालांकि किरायेदार द्वारा भूमि स्वामी को नोटिस नहीं दिया गया अतः किरायेदार ने विवादित भूमि पर दावा करने का अपना अधिकार खो दिया- उच्च न्यायालय का आदेश कि किरायेदार का यह कानूनी दायित्व है कि उसे अपने भूमि क्रय करने के आशय का नोटिस भूमि स्वामी को देना अनिवार्य था एवं धारा 32 जी के

अतंगर्त किरायेदार द्वारा कार्यवाही शुरू करना धारा 32एफ की शर्तों का पर्याप्त अनुपालन करना नहीं माना जायेगा। अतः उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखा। विधवा नर्मदाबाई कृषि भूमि की मूल स्वामी थी अपीलार्थी कृषि भूमि पर खेती करता था। एम -मूल किरायेदार ने धारा 32 जी ,बोम्बे किरायेदारी एवं कृषि भूमि अधिनियम 1984 के अतंगर्त कार्यवाही शुरू की। तहसीलदार ने किरायेदार के पक्ष में आदेश पारित किया और भूमि का क्रय मूल्य निर्धारित किया। अपीलार्थी ने जमीन खरीदी। 1964 में एन.बी. की मृत्यु के बाद उसके कायम मुकामात ने अपील दायर की। तहसीलदार के आदेश को बरकार रखा गया। इसके बाद , आर ने आदेश को चुनौती दी। तहसीलदार ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 भूमि का एकमात्र स्वामी था और यह कि अपीलार्थी द्वारा भूमि की खरीद धारा 32एफ के तहत नोटिस के अभाव में अप्रभावी थी। न्यायाधिकरण ने आदेश को बरकरार रखा। व्यथित, अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की। रिट याचिका तुकाराम मारुति चव्हाण बनाम मारुति नारायण चव्हाण (मृत) एल.आर.एस और अन्य के लंबित रहने के दौरान, मूल किरायेदार एम की मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया और अदालत को सूचित नहीं किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 विवादित भूमि का एकमात्र मालिक था, इसका आधार उसके द्वारा सिविल कोर्ट से प्राप्त प्रशासन पत्र थे। यह माना गया कि हालांकि किरायेदार ने

धारा 32 जी के तहत कार्यवाही शुरू की और भूमि की कीमत के लिए कुछ किशतों का भुगतान किया। इसे पर्याप्त अनुपालन के रूप में नहीं माना जाएगा जिसके परिणामस्वरूप धारा 32 एफ की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विवादित भूमि खरीदने का अपना अधिकार खो दिया।

इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

अभिनिधारित: 1.1 उच्च न्यायालय द्वारा बाँम्बे किरायेदार और कृषि भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 31(3) और 32 एफ पर दी गई व्याख्या को गलत नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से यह देखा कि धारा 31 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि मकान मालिक विकलांगता के तहत और यदि इस अध्याय के तहत अपने अधिकार का उपयोग करने का इरादा है तब किरायेदारी समाप्ति का नोटिस देखा। यदि भूमि स्वामिनी विधवा है तब विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा नोटिस उस तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है जिस दिन भूमि में उसका हित समाप्त हो जाता है। वर्तमान मामले में जब विधवा नर्मदाबाई की मृत्यु हो गई, तो उसका भूमि में हित समाप्त हो गया और इसलिए उसके उत्तराधिकारी के रूप में रामचन्द्र का, किरायेदार को धारा 31 के तहत नोटिस देने का रामचन्द्र का अधिकार विधवा की मृत्यु से एक वर्ष

के लिए बढ़ जाता है।

1.2 उच्च न्यायालय ने सही ढंग से बताया कि धारा 32 एफ के प्रावधान स्वतंत्र प्रकृति के हैं और अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रावधानों से अलग हैं। धारा 32 एफ (1) के तहत उपधारा (2) में उल्लिखित अपवाद इसमें निर्दिष्ट अनुभागों तक ही सीमित है, अर्थात्, धारा 32 से 32 ई (दोनों सम्मिलित) और 32 जी से 32 आर (दोनों सम्मिलित)। इसके अलावा धारा 32 एफ की उपधारा (1) के तहत अभिव्यक्ति “पूर्ववर्ती धाराओं में किसी भी बात के बावजूद” अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि धारा 31 धारा 32 एफ की उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित अनुभागों में शामिल नहीं है, और धारा 32 एफ की उप-धारा (1) के तहत अभिव्यक्ति “पूर्ववर्ती धाराओं में कुछ भी शामिल होने के बावजूद” शामिल नहीं है, धारा 31 के तहत मकान मालिक को दिए गए अधिकार का किरायेदार को धारा 32 एफ के तहत जमीन खरीदने के लिए दिए गए अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है और परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में अपीलकर्ता का कानूनी दायित्व था कि वह धारा 32 एफ के तहत अपने भूमि क्रय के इरादे का नोटिस दे। हम उच्च न्यायालय के विचार से भी सहमत हैं कि भले ही किरायेदार द्वारा शुरू में धारा 32 जी के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो, वह मकान मालिक को नोटिस देने की अनिवार्य आवश्यकता के

अनुपालन से छूट दीये जाने का दावा नहीं कर सकता। धारा 32 एफ के तहत जो अधिनियम के तहत अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन का आदेश देता है। वर्तमान मामले में, इसलिए, अपीलकर्ता धारा 32 एफ के तहत विवादित भूमि खरीदने के इरादे से मकान मालिक के साथ-साथ अधिकरण को नोटिस देने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने के लिए बाध्य था।

अन्ना भाऊ मगदूम (के एलआर) बनाम बाबासाहेब आनंदराव देसाई 1995 (5) एससीसी 243, अप्पा नरसप्पामगदूम के एल आर बनाम अकूबाई गणपति निंबालकर और अन्य 1999 (4) एससीसी 443, सुदाम गणपत कुटवाल बनाम शेवंताबाई तुकाराम गुलुमकर 2006 (7) एससीसी 200 पर आधार दिया गया।

1.3 यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 32 एफ के तहत आवश्यक नोटिस अपनी प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। आवश्यक नोटिस केवल उस मामले में अनिवार्य नहीं है जब एक विधवा भूमि स्वामी ने पहले ही धारा 31 (1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है , अर्थात् जब उसके जीवन काल के दौरान, किरायेदार को एक नोटिस दिया जाता है कि भूमि स्वामी को भूमि की सद्भाविक आवश्यकता है। एक बार ऐसी विधवा भूमि स्वामी को धारा 31 (1) के तहत नोटिस दिया जाता है, तो धारा 31 (3) का आगे लाभ उपलब्ध नहीं होता है। धारा 31 (3) का आगे का लाभ

विधवा के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन, ऐसे मामले में जब विधवा द्वारा धारा 31 का लाभ नहीं उठाया गया है, जैसा कि हम वर्तमान विवाद में देख सकते हैं, धारा 31 (3) निश्चित रूप से लागू होगी।

1.4 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि अपीलकर्ता भूमि मालिक को नोटिस नहीं दे सका क्योंकि वह स्वर्गीय श्रीमती नर्मदाबाई के दोनो बेटों के बीच भूमि के मालिकाना हक को लेकर चल थे विवाद के कारण विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में निश्चित नहीं था, अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में यह तथ्य सामने आया है कि इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने संयुक्त सिविल जज सीनियर द्वारा पारित फैसलेकी और आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की थीजिसमें यह घोषित किया गया है कि श्री रामचन्द्र अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के मालिक हैं।मूल किरायेदार ने दूसरे रिमांड के बाद भी उसी अदालत के समक्ष अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सिविल कोर्ट के फैसले के आधार पर श्री रामचन्द्र अकेले ही विवादित भूमि के एकमात्र मालिक बन गए थे, क्योंकि सिविल कोर्ट ने वसियत के आधार पर अपना निर्णय पारित किया। इसलिए, अपीलकर्ता को विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में पूरी

जानकारी थी। भले ही हम यह मान लें कि अपीलकर्ता को विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे धारा 32 एफ के प्रावधान के अंतर्गत विवादित भूमि के लिए लड़ रहे दोनों भाइयों को या उनमें से किसी एक को भूमि खरीदने के अपने इरादे के बारे में नोटिस देने से किसी ने नहीं रोका था।

तेजा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1995 (4) एससीसी 540,

1.5 अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि उसने एक से अधिक अवसरों पर दोनों भाइयों को जमीन खरीदने के आशय के बारे में बताया था और ऐसा करने का उसका आशय उन दोनों को पता था। हालाँकि, यह उसे अधिनियम की धारा 32 एफ के संदर्भ में लिखित नोटिस प्रदान करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। (पैरा 18)

1.6 उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करना न्यायसंगत था और आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसके लिए इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। चूंकि यह माना जाता है कि धारा 32 एफ के तहत नोटिस की सेवा अनिवार्य थी और सी उक्त धारा के तहत इस तरह के नोटिस की सेवा में विफलता से, अपीलकर्ता ने विवादित भूमि पर दावा करने का अपना अधिकार खो दिया था। (पैरा 19)

## केस लॉ रेफरेंस

1995 (5) एससीसी 243	संदर्भित	पैरा 13
1999 (4) एससीसी 443	संदर्भित	पैरा 13
2006 (7) एससीसी 200	संदर्भित	पैरा 13
1995 (4) एससीसी 540	संदर्भित	पैरा 18

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र: सिविल अपील संख्या 6158 में न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय और आदेश दिनांक 9.6.1999 से रिट याचिका (सी) नंबर 4600 ऑफ 1083 में बॉम्बे उच्च न्यायालय,

के शारदा देवी अपीलार्थी

प्रतिवादियों में सिद्धार्थ भटनागर, पवन कुमार बंसल, वी.डी. खन्ना, शिवाजी एम. जाधव, मकरंद डी. अडकर, विजय कुमार और विश्वजीत सिंह

न्यायालय का निर्णय तरूण चटर्जी, जे. द्वारा किया गया -

तरूण चटर्जी, जे.- 1. यह अपील विशेष इजाजत याचिका द्वारा उच्च न्यायालय बाँम्बे के रिट याचिका संख्या 1983 के 4600 में दिनांक 9 जून 1999 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधिनस्त न्यायालयों के निर्णय की पुष्टि की गई थी।

2. इस अपील को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए मामले से उभर कर सामने आया है, संक्षेप में निम्नानुसार है-

3. यह विवाद बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (एतद् पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान से उत्पन्न हुआ, जो भूमि गाट संख्या 44 ग्राम मालनगांव, कवथे महाराष्ट्र राज्य में सांगली जिले की महांकाल तहसील (संक्षेप में विवादित भूमि) से संबंधित है, जिसकी माप 5 हेक्टेयर और 24 एकड़ है। स्वर्गीय श्रीमती. नर्मदाबाई जो एक विधवा थीं, विवादित भूमि की मूल जमींदार थीं। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पिछे उनके दो पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मण भाऊ सुतार रह गये। 1 अप्रैल, 1957 को, यानी टिलर डे पर अपीलकर्ता विवादित भूमि पर खेती कर रहा था। 1994 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मारुति नाम के मूल किरायेदार की मृत्यु हो गई। मूल किरायेदार ने अतिरिक्त तहसीलदार, कवठे माखनलाल के समक्ष अधिनियम की धारा 32जी के तहत कार्यवाही शुरू की थी, और विवादित भूमि की खरीद कीमत तय होने के साथ मामले का फैसला उसके पक्ष में किया गया था। इसके बाद, मृत भूमि स्वामी नर्मदाबाई के उत्तराधिकारियों में से एक जिसका नाम लक्ष्मण है, ने उक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की। मामला अतिरिक्त

तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया और, फिर से धारा 32 जी के तहत किरायेदार के पक्ष में पिछली स्थिति की पुष्टि करने वाला एक आदेश पारित किया गया। इसबार, स्वर्गीय श्रीमती नर्मदाबाई के अन्य उत्तराधिकारी, अर्थात् रामचन्द्र ने उप-विभागीय अधिकारी, मिराज के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी और उन्होंने 31 मार्च, 1978 के अपने आदेश द्वारा फिर से मामले को निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत जांच और निर्णय के लिए तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया:

“(1) आवेदक रामचन्द्र की विवादित भूमि के वैध स्वामित्व की जांच की जानी चाहिए।

(2) अधिनियम की धारा 32-एफ के तहत भूमि स्वामी और कृषि भूमि न्यायाधिकरण को नोटिस देने के बिंदु पर अधिनियम की धारा 32-एफ के तहत प्रावधानों के अनुसार जाँच की जानी चाहिए।”

4. जब मामला तहसीलदार के सामने आया, तो उन्होंने दूसरे प्रतिवादी को विवादित भूमि का एकमात्र मालिक मानने का आदेश पारित किया। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा विवादित भूमि की खरीद को धारा 32-एफ के तहत नोटिस के अभाव में अप्रभावी घोषित कर दिया गया और विवादित भूमि को अधिनियम की धारा 32 पी के तहत निपटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण के समक्ष

एक पुनरीक्षण याचिका दायर की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अधिकरण के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 28 दिसंबर, 1983 को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल, 1999 के अपने फैसले और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया। प्रतिवादी (रामचंद्र) सिविल कोर्ट से प्राप्त प्रशासन पत्रों के अनुसरण में विवादित भूमि का एकमात्र मालिक था। यह उच्च न्यायालय का वह निर्णय है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है जिसके संबंध में रिट याचिका दायर की गई थी।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या-2 ने विवादित भूमि का एक विक्रय विलेख निष्पादित किया और यद्यपि वह इस विलेख के बारे में न्यायालय को सूचित करने के लिए बाध्य था, लेकिन उसने न्यायालय को इसकी सूचना नहीं दी।

6. उपर्युक्त रिट याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मुद्दा यह था कि क्या किरायेदार के लिए धारा 32 एफ के तहत नोटिस देना अनिवार्य था और क्या ऐसा नोटिस देने में विफल रहने पर किरायेदार ने अपना खरीद का अधिकार खो दिया था और क्या तहसीलदार, अपीलीय न्यायालय अर्थात् उपविभागीय अधिकारी और पुनरीक्षण न्यायालय यानी महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने माना था कि धारा 32 एफ

प्रकृति में अनिवार्य है और इसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि किरायेदार ने धारा 32 जी के तहत कार्यवाही शुरू की थी और भले ही उसने जमीन की कीमत के लिए कुछ किस्तों का भुगतान किया हो, इसे पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप धारा 32 एफ की अनिवार्य शर्त की पालना के छूट नहीं मिल सकती। इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि किरायेदार भूमि के मालिक यानी प्रतिवादी संख्या 2 को लिखित नोटिस जारी करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा है, जैसा कि धारा 32 एफ के तहत आवश्यक है, उसने अपना विवादित जमीन को खरीदने का अधिकार खो दिया है। इसलिए रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसकी अनुमति पर, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में सुनवाई की गई।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और तहसीलदार, अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की भी जांच की है। हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 32 एफ के प्रावधान पर ध्यान दिया, जहाँ तक यह प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है-

“(1) पूर्ववर्ती अनुभागों में किसी बात के होते हुए भी.-

(ए) जहां भूमि स्वामी अव्यस्क है, या विधवा है, या किसी मानसिक या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, तो किरायेदार को उस अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर धारा 32 के तहत ऐसी जमीन खरीदने का अधिकार होगा, जिसके दौरान ऐसा भूमि स्वामी धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है और किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, भूमि स्वामी को उस अवधि की समाप्ति से पहले, इस तथ्य की सूचना किरायेदार को भेजनी होगी कि उसने वयस्कता प्राप्त कर ली है। भूमि स्वामी धारा 31 तहत किरायेदारी समाप्त करने का हकदार है:

बशर्ते कि जहां ऐसी श्रेणी का कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य है, वहां इस उप-धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि संयुक्त परिवार का कम से कम एक सदस्य इस उप-धारा में उल्लिखित श्रेणियों से बाहर है, जब तक कि 31 मार्च 1958 से पहले संयुक्त परिवार में ऐसे व्यक्ति का हिस्सा मीट्स और बाउंड्स द्वारा अलग कर दिया गया है और मामलातदार पूछताछ पर संतुष्ट है कि भूमि में ऐसे व्यक्ति का हिस्सा क्षेत्र, मूल्यांकन वर्गीकरण और को ध्यान में रखते हुए अलग किया गया है। भूमि

का मूल्य, संपूर्ण संयुक्त परिवार की संपत्ति में उस व्यक्ति के हिस्से के समान अनुपात में, न कि बड़े अनुपात में।

(बी).....(हटाया गया, क्योंकि यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है)।

(1 ए) एक किरायेदार जो उप-धारा (1) के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, उसे उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भूमि स्वामी और अधिकरण को एक सूचना देनी होगी।"

8. उच्च न्यायालय ने आगे अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लेख किया, जो जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"(3) जहां भूमि स्वामी अव्यस्क है, या विधवा है, या मानसिक या शारीरिक विकलांगता का विषय है, तो ऐसा नोटिस दिया जा सकता है और धारा 29 के तहत कब्जे के लिए एक आवेदन किया जा सकता है., -

(i) अव्यस्क द्वारा उसके वयस्क होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर

(ii) विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा उस तारीख से एक वर्ष के भीतर जिस दिन भूमि में उसका हित समाप्त हो गया हो,

(iii) मानसिक या शारीरिक विकलांगता समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर; और

“बशर्ते कि जहां ऐसी श्रेणी का कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य है, वहां इस उप-धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि संयुक्त परिवार का कम से कम एक सदस्य इस उप-धारा में उल्लिखित श्रेणियों से बाहर है, जब तक कि 31 मार्च 1958 से पहले संयुक्त परिवार में ऐसे व्यक्ति का हिस्सा मेट्स और बाउंड्स द्वारा अलग कर दिया गया है और मामलातदार पूछताछ करने पर संतुष्ट है कि भूमि में ऐसे व्यक्ति का हिस्सा क्षेत्र, मूल्यांकन, वर्गीकरण और को ध्यान में रखते हुए अलग किया गया है। भूमि का मूल्य, संपूर्ण संयुक्त परिवार की संपत्ति में उस व्यक्ति के हिस्से के समान अनुपात में, और बड़े अनुपात में नहीं।”

9. हमने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की जांच की है जिस पर उच्च न्यायालय ने दृढ़ता से निर्भर किया है। हमारे विचार में, उपरोक्त प्रावधानों के आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में, सही ढंग से देखा कि धारा 31 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि भूमि स्वामी विकलांगता के तहत और

इस अध्याय के तहत अधिकार का प्रयोग करने का इरादा रखते हुए किरायेदारी को समाप्त करने का नोटिस देगा और यदि भूमि स्वामी विधवा है तो विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा नोटिस उस तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है जिस दिन भूमि में विधवा हित समाप्त हो जाता है। वर्तमान मामले में जब विधवा नर्मदाबाई की मृत्यु हो गई, तो उसका भूमि में हित समाप्त हो गया और इसलिए उसके उत्तराधिकारी के रूप में रामचन्द्र की किरायेदार को धारा 31 के तहत नोटिस देने का अधिकार नर्मदाबाई की मृत्यु से एक वर्ष के लिए बढ़ जाता है, यानी 12 जनवरी, 1965 तक।

10. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि धारा 31 और 32 एफ को एक साथ पढ़ा जाता है, तो किरायेदार को भूमि स्वामी को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो नर्मदाबाई और न ही उसके उत्तराधिकारी ने अधिनियम की धारा 31 के तहत किरायेदार को कभी कोई नोटिस दिया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 32 एफ अपने आप में एक पूर्ण धारा है और पूर्व की धाराओं के प्रावधान प्रभावित नहीं कर सकते हैं या अत्यधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि धारा 31 के तहत भूमि स्वामी का जो भी अधिकार हो, वह धारा 32 एफ के प्रावधानों के आधार पर अलग हो जाता है। इस तर्क को अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह

तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि धारा 32 एफ को पूर्व की सभी धाराओं पर अध्यारोही/अभिभावी प्रभाव डालने वाली धारा नहीं कहा जा सकता।

इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

“धारा 32 एफ की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि धारा 32 से 32 ई (दोनों सम्मिलित) और धारा 32 जी से 32 आर (दोनों सम्मिलित) के प्रावधान जहां तक लागू हो, ऐसी खरीद पर लामू होंगे। इसके विपरीत, धारा 32 एफ पिछले अनुभागों में निहित किसी भी बात के बावजूद...‘शब्दों से शुरू होती है। इन दोनों खंडों अर्थात् धारा 32 एफ(1) और 32 एफ(2) की यदि धारा 32 एफ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित परिप्रेक्ष्य और सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कहा जा सकता है कि उपधारा (2) धारा 32. एक धारा 32 एफ की उपधारा (1) का एक अपवाद है, लेकिन साथ ही यह ध्यान में होगा कि उपधारा (2) द्वारा बनाया गया अपवाद इसमें निर्दिष्ट अनुभागों तक ही सीमित है।, अर्थात्, धारा 32 से 32 में सम्मिलित) और 32 जी से 32 और (दोनों सम्मिलित)। चूंकि धारा 31 धारा 32 एफ की उपधारा (2) में शामिल नहीं है और चूंकि धारा 32 एफ उपधारा (1) में

पूर्ववर्ती धाराओं में किसी भी बात के बावजूद प्रावधान करती है, तो यह माना जाना चाहिए कि धारा 31 के तहत भूमि स्वामी को दिए गए अधिकार का धारा 32 एफ के तहत किरायेदार को दिए गए जमीन क्रय करने के अधिकार से कोई लेना देना नहीं है और परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में किरायेदार भूमि क्रय करने के आशय की सूचना देने के लिए कानूनी दायित्व या वैधानिक कर्तव्य के तहत बाध्य है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा:

“... यदि धारा 32 एफ को उसके प्रवृत्ति में अनिवार्य माना जाता है तो उसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। द्वितीयतः, कि किरायेदार ने धारा 32 जी के तहत कार्यवाही शुरू की थी, उस आदेश को अपील में एसडीओ द्वारा रद्द कर दिया गया था और मामले को ऊपर उल्लिखित दो बिंदुओं के संबंध में नए सिरे से जांच के लिए भेज दिया गया था। इसलिए, भले ही किरायेदार ने धारा 32. जी के तहत कार्यवाही शुरू की हो और भले ही उसने कुछ किस्तें और जमीन की कीमत का भुगतान किया हो, इसे पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता है जिसके

परिणामस्वरूप धारा 32 एफ की अनिवार्य आवश्यकता समाप्त हो जाती हो।”

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अपील के तहत फैसले के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के आदेशों और उनके समक्ष पक्षकारों के बयानों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि यह अपील निम्नानुसार कारणों द्वारा खारिज करने योग्य है:-

12. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने सही अंकित किया कि धारा 32 एफ के प्रावधान स्वतंत्र प्रकृति के हैं और अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रावधानों से अलग हैं। धारा 32 एफ (1) के तहत उपधारा (2) में उल्लिखित अपवाद इसमें निर्दिष्ट अनुभागों तक ही सीमित है, अर्थात्, धारा 32 से 32 ई. (दोनों सम्मिलित) और 32 जी से 32 आर (दोनों सम्मिलित)। इसके अलावा धारा 32 एफ की उपधारा (1) के तहत अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती धाराओं में किसी भी बात के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि धारा 31 धारा 32 एफ की उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित धाराओं में शामिल नहीं है, और धारा 32 एफ की उप- धारा (1) के तहत अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती धाराओं में कुछ भी शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं है, हम उनका मानना है कि धारा 31 के तहत भूमि स्वामी को दिए गए अधिकार का किरायेदार को धारा 32 एफ

के तहत जमीन खरीदने के लिए दिए गए अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है और परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में अपीलकर्ता धारा 32 एफ के तहत भूमि खरीदने के अपने इरादे की सूचना देने का कानूनी दायित्व या वैधानिक कर्तव्य से बाध्य था। हम उच्च न्यायालय के विचार से भी सहमत हैं कि भले ही किरायेदार द्वारा शुरू में धारा 32 जी के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो, वह धारा 32 एफ के तहत भूमि स्वामी को नोटिस देने की अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन से छूट प्रदान करने का दावा नहीं कर सकता था क्योंकि वो शर्त इस अधिनियम के तहत अनिवार्य है और इसकी सख्त अनुपालन का आदेश देता है।

13. अन्ना भाऊ मगदुम (मृत्यु पश्चात् उनके एलआर द्वारा) बनाम बाबासाहेब आनंदराव देसाई के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णित किया कि ऐसे मामलों में किरायेदार द्वारा भूमि की कोई स्वचालित खरीद नहीं होती है, जहां भूमि स्वामी एक विधवा हो और ऐसे मामलों में भूमि क्रय करने का अधिकार केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब कि धारा 32 एफ के प्रावधान के अनुसार पालना की गई हो यानी उस दिनांक से 1 वर्ष के भीतर एक लिखित रूप में नोटिस देकर जब विधवा कि मृत्यु के बाद किरायेदारी समाप्त करने का भूमि स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपिलार्थि धारा 32 की आवश्यक शर्त जो कि विवादित भूमि क्रय करने के आशय का एक लिखित नोटिस

भूमि स्वामि के साथ-साथ ट्रिब्यूनल को देने के लिए बाध्य था। अप्पा नरसप्पा मगदुम (मृत्यु पश्चात् एल आर द्वारा) बनाम अकुबाई गणपति निंबालकर और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि किरायेदार द्वारा कि धारा 32 एफ (1) के तहत दी जाने वाली सूचना उक्त धारा में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देनी होगी। इस न्यायालय द्वारा, उक्त मामले में, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि संबंधित अधिनियम, एक कल्याणकारी विधि है, जो कि किरायेदारों के लाभ के लिए बनायी गयी है, इस हेतु इसका उदार निवर्चन किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अपने निर्णय में पैरा नं. 4 में वर्णित किया कि "हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि धारा 32 एफ और 31 की भाषा पूर्णतः स्पष्ट है और एक वर्ष की अवधि की गणना उक्त प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, न कि किरायेदार के ज्ञात होने की तारीख से। विधि के प्रावधान स्पष्ट होने के कारण, हम ऐसे मामले में समानता के आधार पर राहत नहीं दे सकते। पुनः सुदाम गणपत कुटवाल बनाम शेवंताबाई तुकाराम गुलुमकर, में, पक्षकारों के अधिवक्तों के तर्क पर निर्भर करते हुए, इस न्यायालय ने विधी की स्थिति को स्पष्ट रूप सक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस मामले से संबंधित पैराग्राफ 23 (सी) से 23(ई) हैं जो यहां दिए गए हैं:

"23 (सी) एक भूमि स्वामी को किरायेदारी समाप्त करने के

बाद नोटिस देने और कब्जे के लिए आवेदन करने का अधिकार है, यदि उसे व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि की सम्भावित आवश्यकता है, बशर्ते कि किरायेदार को 31.12.1956 को या उससे पहले नोटिस दिया गया हो (मामलातदार को प्रतिलिपि के साथ) और धारा 29 के तहत कब्जे के लिए दिनांक 31.03.1957 को या उससे पहले आवेदन किया गया था।

(डी) एक विधवा भूमि स्वामी भी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के तहत कब्जे के लिए आवेदन करने की हकदार है। धारा 31 की उप-धारा (3), जो एक सक्षम प्रावधान है, उस अवधि को बढ़ाती है जिसके भीतर विधवा, 31.12.1956 के बाद भी धारा 31(1) के तहत कब्जा मांग सकती है। परिणामस्वरूप, जहां भूमि स्वामी विधवा है, तो धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक नोटिस और धारा 29 के तहत कब्जे के लिए आवेदन तब तक किया जा सकता है जब तक भूमि में उसका हित मौजूद है। ऐसा नोटिस विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा उस तारीख से एक वर्ष के भीतर भी दिया जा सकता है, जिस दिन भूमि में विधवा का हित समाप्त हो जाता है।

(ई) जहां भूमि स्वामी एक विधवा है और वह अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करती है, डीम्ड क्रय के तहत क्रय का अधिकार उस अवधि की समाप्ति तक स्थगित कर दिया जाता है जिसके दौरान ऐसा (असक्षम) भूमि स्वामी धारा 31(3) के तहत किरायेदारी समाप्त करने का हकदार है। हालांकि, इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक किरायेदार को धारा 32 एफ (1-ए) के तहत एक वर्ष के भीतर भूमि स्वामी और ट्रिब्यूनल को इस संबंध में आवश्यक सूचना देनी होगी।

परिणामस्वरूप, जहां भूमि स्वामी, 1.4.1957 को विधवा होने के कारण, व्यक्तिगत खेती के लिए किरायेदारी को समाप्त करने का विकल्प नहीं चुनती है किरायेदारी उसके जीवनकाल के दौरान जारी रहती है और विधवा की मृत्यु पर उसकी मृत्यु की वर्ष की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके उत्तराधिकारी के पास किरायेदारी समाप्त करने के लिए अधिकार होगा। किरायेदार को धारा 32 के तहत उस अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर ऐसी भूमि खरीदने का अधिकार है, जिसके दौरान विधवा के ऐसे उत्तराधिकारी को धारा 31 (3) के तहत किरायेदारी समाप्त करने का

अधिकार दिया जाता है। परन्तु उसे धारा 32 एफ (1-ए) के तहत आवश्यक सूचना भूमि स्वामी को देनी होगी।”

14. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे सामने यह तर्क देने के लिए उपर्युक्त मामले का हवाला दिया गया है कि धारा 32 एफ के तहत आवश्यक नोटिस अस्की प्रकृति के अनुसार अनिवार्य नहीं है। हालांकि हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं हैं। आवश्यक नोटिस केवल उस मामले में अनिवार्य नहीं है जब एक विधवा भूमि स्वामि ने पहले ही धारा 31 (1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है, अर्थात् जब उसके जीवन काल के दौरान, किरायेदार को एक नोटिस दिया जाता है कि मकान मालकिन को भूमि की वास्तविक आवश्यकता है। एक बार ऐसी विधवा मकान मालकिन को धारा 31 (1) के तहत नोटिस दिया जाता है, तो धारा 31 (3) का आगे लाभ उपलब्ध नहीं होता है। उपरोक्त प्रकरण के पृष्ठ संख्या 210 के पैरा संख्या 26(6) और उसीके पैरा संख्या 27 हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक हैं:

“23. (एफ) जहां एक भूमि स्वामी, जो एक विधवा है, अपनी समाप्ति के अधिकार का प्रयोग करती है और अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत व्यक्तिगत खेती के लिए किरायेदारी भूमि के हिस्से पर कब्जा सुरक्षित कर लेती

है, तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा, विधवा का हित सम्पत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर समाप्ति की सूचना देने का कोर्ट सवाल उत्पन्न नहीं होता। जब धारा 31 (3) लागू नहीं होती, तो धारा 32 एफ भी लागू नहीं होगी और किरायेदार को धारा 32 एफ (1-3) के तहत कोई सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

“27. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए कि किरायेदार को निर्धारित अवधि के भीतर धारा 32 एफ के तहत एक नोटिस जारी करना होगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो जमीन खरीदने का अधिकार खो देता है और भूमि स्वामी पूरी तरह से इसका हकदार हो जाएगा, इस न्यायालय के निम्न निर्णयों पर निर्भर किया - अमृत भीकाजी काले बनाम काशीनाथ जनार्दन ट्रेड, अना भाऊ मगदुम बनाम बाबासाहेब अनादराव देसाई, अप्पा नरसप्पा मगदुम बनाम अकुबाई गणपति निंबालकर और बालचंद्र अनंतराव राकवी बनाम रामचंद्र रुकाराम । ये सभी ऐसे मामले थे जहां विकलांगता के तहत भूमि स्वामि ने धारा 31(1) के तहत व्यक्तिगत खेती के लिए कब्जा नहीं मांगा था और जहां स्वीकार्य रूप से, धारा

31(3) और 32 एफ लागू थे और परिणामस्वरूप, किरायेदार की ओर से एक सूचना धारा 32 एफ(1-ए) के तहत भेजने का दायित्व था। इनमें से कोई भी मामला किसी विधवा भूमि स्वामी से संबंधित नहीं था, जिसने अपने जीवनकाल के दौरान किरायेदारी समाप्त कर दी थी और किरायेदारी भूमि के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसलिए, उक्त निर्णय लागू नहीं होंगे।”

15. उपर्युक्त प्रस्ताव धारा 31 (1) के संबंध में, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि एक बार उस प्रावधान के तहत नोटिस दिए जाने के बाद, धारा 31 (3) का आगे का लाभ विधवा के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन, ऐसे मामले में जब विधवा द्वारा धारा 31 का लाभ नहीं उठाया गया है, जैसा कि हम वर्तमान विवाद में देख सकते हैं, धारा 31 (3) निश्चित रूप से लागू होगी।

16. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि अपीलकर्ता भूमि मालिक को नोटिस नहीं दे सका क्योंकि वह स्वर्गीय श्रीमती नर्मदाबाई के दो बेटों, जो विवादित भूमि के मालिकाना हक का दावा कर रहे थे। उनके बीच विवाद के कारण विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में निश्चित नहीं था। हम अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। तहसीलदार, कक्थे महाकाल द्वारा पारित

आदेश इस तथ्य को बताता है कि इस मामले में प्रतिवादी नंबर 2 श्री रामचन्द्र ने संयुक्त सिविल जज सीनियर द्वारा पारित विविध आवेदन क्र. 25/1965, 1966 के निर्णय और आदेश दिनांक 28 अप्रैल 1966 की प्रमाणित प्रति पेश की थी। जिसमें यह घोषित किया गया है कि श्री रामचन्द्र अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती नर्मदाबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के मालिक हैं। अपीलकर्ता ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि:

“उक्त भूमि की मालिक श्रीमती नर्मदाबाई भाऊ सुतार थी।

नर्मदाबाई की मृत्यु 10-12 वर्ष पूर्व हो गई। रामचन्द्र भाऊ सुतार ने वसीयत के आधार पर मुकदमा दायर किया और नर्मदाबाई की जमीन अपने नाम कर ली।”

17. मूल किरायेदार ने दूसरे रिमांड के बाद भी 16 मार्च, 1981 को अपने बयान में उसी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सिविल कोर्ट के फैसले के अनुसार श्री रामचन्द्र वसियत के आधार पर अकेले ही विवादित भूमि के एकमात्र स्वामी बन गए थे। उपर्युक्त अभिलेखों के आधार पर, हमारा दृढ़ मत है कि अपीलकर्ता को विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में पूरी जानकारी थी। इसलिए उसकी यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि उसे असली स्वामी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

18. आगे तर्क के लिए, भले ही हम यह मान लें कि अपीलकर्ता को विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी धारा 32 एफ के प्रवधानों के अनुसार उसे विवादित भूमि के लिए लड़ रहे दोनों भाइयों या उनमें से किसी एक को भूमि खरीदने के अपने इरादे के बारे में नोटिस देने से नहीं रोका गया। इस न्यायालय ने तेजा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, के मामले में देखा है कि भूमि अधिग्रहण के लिए, सह-मालिकों में से किसी एक को नोटिस देना आवश्यक है और इसलिए इसे सभी सह मालिकों पर तामील के रूप में माना जाएगा। अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि उसने एक से अधिक अवसरों पर दोनों भाइयों को जमीन खरीदने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था और ऐसा करने का उसका इरादा उन दोनों को पता था। हालाँकि, यह उसे अधिनियम की धारा 32 एफ के संदर्भ में लिखित नोटिस प्रदान करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने स्वयं तहसीलदार, कवये महाकाल के समक्ष स्वीकार किया कि उसने अपने इरादे का उल्लेख करते हुए दोनों भाइयों में से किसी को भी कोई लिखित नोटिस नहीं दिया था। इसे अपीलकर्ता के 8 अक्टूबर 1976 और 16 मार्च 1981 के बयान से पहचाना जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था।

“नर्मदाबाई की मृत्यु 10-12 वर्ष पहले हो गई थी। मैंने स्वामियों को नोटिस नहीं दिया है। मैंने उन्हें समय-समय पर खरीद के संबंध

में मौखिक रूप से सूचित किया है। मैंने लिखित में नोटिस नहीं दिया है। भाइयों में विवाद होने लगा इस कारण मैं धारा 32 (एफ) के अनुसार जमीन की खरीद के संबंध में नोटिस नहीं दे सका। कानून की जानकारी न होने के कारण मुझे नोटिस तामील होने की जानकारी नहीं है।”

19. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करना उचित था और आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं पाया गया है जिसके लिए हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकते हैं। चूंकि हमने पहले ही माना है कि धारा 32 एफ के तहत नोटिस देना अनिवार्य था और उक्त धारा के तहत इस तरह के नोटिस देने में विफलता के कारण अपीलकर्ता ने विवादित भूमि पर दावा करने का अपना अधिकार खो दिया था।

20. तदनुसार अपील खारिज की जाती है। व्यय के विषय में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी ओमी पुरोहित आरएचजेएस की सहायता से किया गया है। यह निर्णय पक्षकार को उसकी स्थानीय भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।